Australian Government
Australian Quarantine and Inspection Service

दीपावली के त्यौहार के समय संगरोध(क्वॉरन्टीन) सम्बन्धी ख़तरों के विषय में प्रश्न व उनके उत्तर

प्र.	लोग डाक द्वारा ऑस्ट्रेलिया में क्या भेजते हैं या अपने साथ क्या लाते हैं, इसमें AQIS की रुचि क्यों है ?
उ.	• अंतर्राष्ट्रीय डाक द्वारा या ऑस्ट्रेलिया आने वाले लोगों के साथ ऐसे कीड़े व बीमरियाँ ऑस्ट्रेलिया में आ सकते है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में नहीं पाए जाते हैं । • ऐसी वस्तुएँ या उपहार, जिनमें वर्जित खाद्य–पदार्थ हैं, जैसे कि मसाले, जड़ी–बूटियाँ, गिरीदार मेवा (nuts), बीज, दूध से बनी चीज़ें या वानस्पतिक–वस्तुएँ, उनमें ऐसे कीड़े व बीमरियाँ आ सकते हैं, जिनका ऑस्ट्रेलिया के आयात–निर्यात बाजार पर विनाशकारी प्रभाव हो सकता है । दीपावली के परम्परागत उपहारों के साथ चिपट कर खपरा बीटल कीड़ा आ सकता है तथा दूध से बनी चीजों को डाल कर बनाई गई भारतीय मिठाइयों के साथ बीमरियाँ आ सकती हैं।
प्र.	ऐसी कौन सी वस्तुएँ हैं, जिनमें दीपावली के त्यौहार के समय क्वॉरन्टीन अधिकारियों की विशेष रुचि होती है ?
उ.	• भारत से आने वाली वस्तुओं में से पकड़ी गईं वस्तुओं में आमतौर पर शामिल हैं, वर्जित वानस्पतिक–पदार्थ, खाद्य–पदार्थ जिनमें शामिल हैं–मसाले, जड़ी–बूटियाँ, चाय, गिरीदार मेवा (nuts), बीज; या भारतीय मिठाइयाँ जैसे कि बर्फी, रसमलाई, गुलाबजामुन, पेड़े या अन्य कोई भी खाद्य–सामग्री जिसमें दूध से बनी वस्तुएं मिली हुई हैं । इन सब में ऐसे कीड़े व बीमरियाँ हो सकते हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया में नहीं पाए जाते हैं । • पिछले साल क्वॉरन्टीन अधिकारियों ने भारत से डाक द्वारा भेजी गई वस्तुओं में से 900 किलोग्राम से अधिक की वस्तुओं को पकड़ा है ।

प्र.	आप वर्जित वस्तुओं का कैसे पता लगाते हैं तथा ज़ब्त की गई वस्तुओं का क्या होता है ?
उ.	• डाक केन्द्रों में, वर्जित वस्तुओं का आमतौर पर एक्स-रे का प्रयोग करके, खोजी कुत्तों से जाँच करवा के या क्वॉरन्टीन अधिकारी निरीक्षण करके पता लगाते हैं । डाक प्राप्त करने वालों के पार्सल मे से यदि किन्हीं वस्तुओं को रोक लिया या ज़ब्त कर लिया गया है, तो उन्हें उसकी सूचना दे दी जाती है । • अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर आपके सामान का एक्स-रे किया जा सकता है, खोजी कुत्तों से जाँच कराई जा सकती या क्वॉरन्टीन अधिकारी निरीक्षण कर सकते हैं । यदि वर्जित वस्तुएँ पायी जाती हैं तो क्वॉरन्टीन अधिकारी सामान के अन्दर देखने के लिए आपसे अनुमति माँगेंगे, यह सुनिश्चित करने के लिए कि उन वस्तुओं से क्वॉरन्टीन से सम्बन्धित कोई खतरा तो नहीं है । • वे वस्तुएँ, जिन्हें घोषित किया गया है व जाँच लिया गया है, उन्हें क्वॉरन्टीन सम्बन्धी खतरे के आधार पर, छोड़ा जा सकता है, संसाधित (treatment) करने के बाद छोड़ा जा सकता है या नष्ट किया जा सकता है । यदि किसी वस्तु के बारे में आपको निश्चित रूप से मालूम नहीं हैं तो हमेशा सबसे अच्छा यह है कि आप उसे घोषित कर दें ।
प्र.	वे लोग जो डाक से ऑस्ट्रेलिया पार्सल भेज रहे हैं या ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं, वे यह कैसे सुनिश्चित करें कि वे ऑस्ट्रेलिया के क्वॉरन्टीन सम्बन्धी कानूनों का पालन कर रहे हैं ?
उ.	• जिन लोगों के पास विदेश से डाक द्वारा वस्तुएँ आने वाली है, उन्हें यह जान लेना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया क्या नहीं भेजा जा सकता है । उन्हें अपने परिवार व मित्रों को सलाह देनी चाहिए कि वे वर्जित वस्तुएँ भेजने का खतरा न उठाएँ और वे प्रत्येक पार्सल में रखे गए सामान की सही सूची बना कर, घोषणा फ़ॉर्म (declaration form) को सही तरीके से पूरा भरें । • ऑस्ट्रेलिया में प्रवेश करने से पहले आपको एक यात्री प्रवेश कार्ड (Incoming Passenger Card) दिया जाएगा । यदि आपके पास वानस्पतिक पदार्थ, जन्तुओं से बना सामान या खाने का सामान, जिसमें शामिल हैं- मसाले, बीज, गिरीदार मेवा (nuts) या भारतीय मिठाइयाँ हैं तो आपको 'हाँ'(YES) पर सही का निशान लगाना चाहिए। यह एक कानूनी काग़ज़ है और यदि आप इसे सही-सही नहीं भरते हैं तो जुरमाना हो सकता है । • यदि आप क्वॉरन्टीन खतरे सम्बन्धी वस्तुओं को यात्री प्रवेश कार्ड पर घोषित नहीं करते हैं तो आप पर तत्काल 220 ऑस्ट्रेलियन डॉलर तक का जुरमाना किया जा सकता है । ज़्यादा गंभीर उल्लंघनों के लिए आप पर अभियोग लगाया जा सकता है और 66,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर तक का जुरमाना किया जा सकता है या दस साल तक की जेल हो सकती है, जिससे आपके खिलाफ़ अपराधी होने का रिकॉर्ड बन सकता है ।

प्र.	डाक से ऑस्ट्रेलिया में क्या भेजा जा सकता और क्या नहीं या क्या लाया जा सकता है और क्या नहीं, इस विषय में लोगों को अधिक जानकारी कहाँ से मिल सकती है ?
उ.	• आॅस्ट्रेलिया में डाक से क्या भेजा जा सकता और क्या नहीं या क्या लाया जा सकता है और क्या नहीं, यह जानने के लिएः ○ AQIS की वैबसाइट www.aqis.gov.au पर देखें । वैबसाइट पर जानकारी व तथ्य–पत्र भी हैं । ○ क्वॉरन्टीन पुस्तिका *डाक से आॅस्ट्रेलिया में क्या नहीं भेजा जा सकता है?* (*What Can't be Mailed to Australia?*) या *मैं आॅस्ट्रेलिया में क्या नही ले जा सकता/सकती हूँ ।* (*What can't I take into Australia?*) मँगा लें या डाउनलोड कर लें । ○ कोई भी सवाल पूछ्ने के लिए AQIS को 1800 020 504 पर फ़ोन करें (पूरे आॅस्ट्रेलिया मे निःशुल्क है और अंग्रेज़ी में बात करें)। ○ यदि आप को अन्य भाषा में सहायता चाहिए तो अनुवाद व दुभाषिया सेवा को 131 450 पर फ़ोन करें (पूरे आॅस्ट्रेलिया में)।